

भारत सरकार  
रक्षा मंत्रालय  
रक्षा विभाग  
लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2935  
10 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

रक्षा विमानपत्तनों का उपयोग  
2935. श्री हसनैन मसूदी:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) रक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर में कुल कितने विमानपत्तन/हवाई क्षेत्र हैं;
- (ख) मंत्रालय द्वारा नागरिक विमान यातायात हेतु अंबतीपोरा विमानपत्तन को नागर विमानन मंत्रालय में अंतरित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
- (ग) मंत्रालय द्वारा ठंड के दौरान सुदूर क्षेत्रों/पहाड़ी क्षेत्रों/बर्फ आच्छादित क्षेत्रों तक हवाई यात्रा के लिए नागरिकों को प्रदान की गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद नाईक)

- (क) जम्मू और कश्मीर में रक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 07 हवाई क्षेत्र और 02 एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउण्ड हैं ।
- (ख) रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (आरसीएस) के अंतर्गत जून, 2019 में अंबतीपोरा हवाई क्षेत्र से सिविल फ्लाइट आपरेशंस के लिए ' सिद्धांत रूप में अनुमोदन ' दिया गया है ।
- (ग) ठंड के दौरान भारतीय वायु सेना की परिसंपत्तियों का प्रयोग करके मामला-दर-मामला आधार पर सुदूर क्षेत्रों/पहाड़ी क्षेत्रों/बर्फ आच्छादित क्षेत्रों में नागरिकों को एअरलिफ्ट और कैजुअल्टी एवेकुएशन उपलब्ध कराए जाते हैं ।

\*\*\*\*\*